

२०१८/००१५९
०१/०६/२०१८

प्रपत्र:-८

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, जूनामीठा खेड़ा

प्रकरण सं.:-४३/२०१८

क्रमांक:-लो.अदा./२०१८/१०३५

दिनांक:-०१.०६.२०१८

आदेश

वादी के वाद पत्र व पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं मू.अ.नि.सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काशतकारी अधिनियम १९५५ की धारा ८८ के अनुसरण में ग्राम झीन्झणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् २०७३-२०७६ में खाता संख्या २१ में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१	झीन्झणी	२१	६२३	सुआ बेवा मोमता	सुआ कंवर बेवा मोमताराम शेष बदुस्तर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:-०१.०६.२०१८

क्रमांक:-लो.अदा./२०१८/१०३६-१०३८

प्रतिलिपि:-

- १.तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
- २.प्रार्थी श्री सुआ कंवर पत्नि मोमताराम जाति पुरोहित निवासी झीन्झणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- ३.रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी